परिशिष्ट का प्रपत्र [28/7/2025]

विधानसभा सत्र जुलाई 2025 अतारांकित प्रश्न क्रमांक 482 के प्रश्नांश ''ग'' का उत्तर

माननीय सदस्य श्री जयवर्धन सिंह प्रश्न सं. [क्र. 482] सदन में उत्तर देने का दिनांक 28.07.2025

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **28/02/2025**

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **11/03/2025**

विभाग का नाम : **सहकारिता**

विषय : **जिला सहकारी बैंक मर्यादित गुना से ऋण प्राप्त करने के नियम।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **470**) **श्रीजगन्नाथ सिंह रघुवंशी**

क्या **सहकारिता मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) सहकारी-बैंक-मर्यादित गुना के अंतर्गत किसीभी सेवा-समिति से ऋण प्राप्त-करने के क्या-नियम है।नियमों की छायाप्रति देवें। क्या श्री अरस्तु प्रभाकर मुख्य-कार्यपालन-अधिकारी एवं श्री सुनील भार्गव तत्कालीन-शाखा-प्रबंधक-चन्देरी की मिलीभगत से गीता ओझा मूल निवासी-आरोन(जिला-गुना) की होते हुए भी फर्जी-तरीके शाखा-चन्देरी अंतर्गत सेवा-समिति-रामनगर से दिनांक30/09/2022 को राशि60000/- एवं सेवा-समिति-हिरावल से दिनांक15/03/2022 को राशि 75000/- का ऋण प्रदाय किया गया है।यदि,हां तो क्या गीता ओझा सेवा सहकारी समिति रामनगर और हिरावल की सदस्य है।यदि नहीं,तो किस-आधार पर दोनो-समितियों द्वारा ऋण-वितरण किया गया है। उक्त नियम विरूद्ध आवंटित-ऋण के संबंध में जिम्मेदारों पर क्या-कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ख) श्री सुनील भार्गव प्रबंधक के शाखा-चन्देरी में पदस्थी,के,दौरान गीता ओझा निवासी-आरोन(जिला-गुना) के खाता-क्रमांक-180004328920 में लाखों रू. राशि जमा हुई हैऔर निकाली गई है,और-श्री सुनील भार्गव के शाखा-चन्देरी से स्थानांतरण होने,के उपरांत,उक्त-खाते से लेन-देन बन्द हो गया है,श्री सुनील भार्गव प्रबंधक के शाखा-चन्देरी में पदस्थी के,दौरान उक्त-खाते में राशि-निकासी एवं राशि जमा करने के समस्त व्हाउचर,विड्राल-रसीदो की छायाप्रति देवें। यह भी बतावे-कि उक्त-खाते में,राशि अन्य निष्क्रिय-खातों से षड्यंत्रपूर्वक ट्रांसफर तो नहीं,की गई है।यदि हां,तो तत्कालीन-शाखा-प्रबंधक पर एफ.आई.आर की कार्यवाही,कब-तक की जायेगी।उक्त खाते में जितने भी खाता-धारकों के खाते से,राशि ट्रांसफर की गई है-सभी का नाम,पिता/पति-का-नाम एवं पते,की जानकारी देवें। (ग) क्या शासन श्री सुनील भार्गव तत्कालीन-शाखा-प्रबंधक-चन्देरी, आरोन(जिला-गुना) एवं शाखा-अशोकनगर के समस्त कार्यकाल की जांच प्रश्नकर्ता के प्रतिनिधि को सम्मलित करते हुए प्रदेश स्तरीय-दल से करायेगा,अथवा,नहीं यदि-हां-तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों नहीं।

उत्तर : कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक/ साख/ सीबी 3.4/2025/376 भोपाल दि. 15/02/2025

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल।
2. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला गुना, अशोकनगर म.प्र.।
4. उपायुक्त सहकारिता जिला गुना, अशोकनगर, म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सह. के. बैंक मर्या. गुना।

की ओर भेजकर लेख है कि कृपया उक्त विधानसभा का उत्तर तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

उप आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **28/02/2025**

वर्ग : ।   सदन में उत्तर देने का दिनांक : **11/03/2025**   विभाग का नाम : **सहकारिता**

विषय : **नियम विरूद्ध किये गये प्रमोशन एवं नियम विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : 471) **श्रीजगन्नाथ सिंह रघुवंशी**

क्या **सहकारिता मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क)श्री सुनील भार्गव, प्रबंधक सहकारी बैंक शाखा अशोकनगर की प्रथम नियुक्ति किस पद पर किस दिनांक को की गई थी। आदेश की प्रतिलिपि देवें। सहकारी बैंक में पदोन्नति के क्या नियम है छायाप्रति देवें एवं बतावें कि श्री सुनील भार्गव को प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी के पद पर नियुक्ति किस नियम के तहत दी गई है यदि नियम विरूद्ध पदोन्नति दी गई है तो श्री भार्गव को कब तक पदावनत किया जायेगा। और नियम विरूद्ध पदोन्नति करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक किया जायेगा ? (ख)दिसंबर-2023 को आकाश ऑयल एजेंसी को सेवा सहकारी समिति तूमैन द्वारा राशि 53846 रू० एवं राशि 123807/- रू० का भुगतान एवं सेवा सहकारी समिति बामोरा द्वारा राशि 260591 रू० का भुगतान किया गया है। उक्त समितियों के बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति उपलब्ध करावें साथ ही समितियों के प्रबंधक एवं प्रशासक द्वारा जारी चैक एवं कार्यवाही पंजी की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग)क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित राशि का भुगतान, श्री सुनील भार्गव, शाखा प्रबंधक अशोकनगर द्वाराप्रबंधक लीड शाखा अशोकनगर से मात्र आवेदन प्राप्त कर आकाश ऑयल एजेंसी को नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है। यदि हां तो दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

उत्तर : कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक/साख/सीबी. 3-4/2025/375   भोपाल दि. 15/02/2025

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल।
2. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला- अशोकनगर, म.प्र.।
4. उपायुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सह.के. बैंक मर्या. गुना।

की ओर भेजकर लेख है कि कृपया उक्त विधानसभा का उत्तर तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

उप आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.